संख्या-4/2016/77/44-1-2016-03उ0वे0रि0/2001

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासनिक विभाग के
प्रमुख सचिव/सचिव ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊ- दिनांक - 22 अगस्त,2016

विषय- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को ए0सी0पी0 (सुनिश्चित प्रोन्नयन की व्यवस्था) में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1के शासनादेश दिनांक 16 मार्च,2015 के क्रम में राज्य कर्मचारियों के लिए ए0सी0पी0 की व्यवस्था में संशोधन विषयक निर्गत वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 08/2015-वे0आ0-2-190/दस-62(एम)/2008टी0सी0-1,दिनांक 03मार्च,2015 एवं तदविषयक शासनादेश संख्या-50/2015-वे0आ0-2-871/दस-62(एम)/2008, दिनांक 26 अगस्त,2015 की प्रति संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न शासनादेश के अनुरूप सार्वजनिक उपक्रम/निगम अपनी आर्थिक क्षमता के आधार पर अपने कार्मिकों को ए0सी0पी0 की सुविधा इस शर्त के अधीन लागू कर सकते है, कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को संबंधित उपक्रम/निगम स्वयं वहन करेगें और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता देय नहीं होगी तथा निगम के प्रशासकीय विभाग बढे हुए व्यय भार का परीक्षण करते हुए संबंधित व्यय नियंत्रण अनुभाग से सहमति प्राप्त करेगें ।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

हरिराज किशोर
प्रमुख सचिव ।

संख्या-4/2016/77/44-1-2016-03उ0वे0रि0/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
2- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम व्यूरो,जवाहर भवन,लखनऊ ।
3- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

मुरारी लाल
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 08/ 2015-वे0आ0-2-190/ दस-62(एम)/ 2008टी0सी0-1

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव,/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 03 मार्च, 2015

विषय:- राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों के लिए लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/ दस-62(एम)/ 2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 में की गयी व्यवस्थानुसार ऐसे राज्य कर्मचारी जिन्हें सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बावजूद 03 वित्तीय स्तरोन्नयन के समतुल्य ग्रेड वेतन अनुमन्य नहीं हुआ है उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य किये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

"ऐसे पदधारक जिन्हें ए0सी0पी0 की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/ दस-62(एम)/ 2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के कारण सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से 26 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के बावजूद सीधी भर्ती के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से तीसरे वित्तीय स्तरोन्नयन के समतुल्य ग्रेड वेतन वास्तविक पदोन्नति/ समयमान वेतनमान/ ए0सी0पी0 अनुमन्य होने के बावजूद नहीं मिल पाया है उन्हें शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/ दस-59(एम)/ 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक-2अ पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ-6 में उपलब्ध सीधी भर्ती के पद के ग्रेड वेतन से तीसरा उच्च ग्रेड वेतन सीधी भर्ती के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से 26 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से स्वीकृत किया जायेगा। सीधी भर्ती के पद का आशय उस पद से है जिस पर सम्बन्धित कार्मिक सीधी भर्ती के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा नियुक्त हुआ हो।"

2- शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/ दस-62(एम)/ 2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या - 08/ 2015-वे0आ0-2-190(1)/ दस-62(एम)/ 2008 टी0सी0-1, तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-। एवं ।। तथा आडिट-। एवं ।। उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(3) प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
(4) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(5) निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क, उ0प्र0।
(6) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
(7) समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(9) इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) निदेशक, एन0आई0सी0 को वित्त विभाग के वेब साइट पर डालने हेतु।
(11) गार्डबुक।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-50/2015-वे0आ0-2-871/दस-62(एम)/2008

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 26 अगस्त, 2015

विषय- राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों के लिए लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 में की गयी व्यवस्थानुसार ऐसे राज्य कर्मचारी जिन्हें सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बावजूद दूसरे वित्तीय स्तरोन्नयन के समतुल्य ग्रेड वेतन अनुमन्य नहीं हुआ है उन्हें द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य किये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

'ऐसे पदधारक जिन्हें ए0सी0पी0 की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के कारण सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से 16 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के बावजूद सीधी भर्ती के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से दूसरे वित्तीय स्तरोन्नयन के समतुल्य ग्रेड वेतन वास्तविक पदोन्नति/समयमान वेतनमान/ ए0सी0पी0 अनुमन्य होने के बावजूद नहीं मिल पाया है उन्हें शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक-2अ पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ-6 में उपलब्ध सीधी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भर्ती के पद के ग्रेड वेतन से दूसरा उच्च ग्रेड वेतन सीधी भर्ती के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से 16 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में स्वीकृत किया जायेगा। सीधी भर्ती के पद का आशय उस पद से है जिस पर सम्बन्धित कार्मिक सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त हुआ हो।"

2- शासनादेश संख्या वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

राहुल भटनागर

प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-50/2015-वे0आ0-2-871(1)/दस-62(एम)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:---

(1) महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-I एवं II तथा आडिट- I एवं II, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

(3) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

(4) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(5) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।

(6) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।

(7) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(8) उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(9) इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(10) निदेशक, एन0आई0सी0 को वित्त विभाग की वेब साइट पर डालने हेतु।

(11) गार्डबुक।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।